...यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–31.08.2023

...न संख्या 89 / 2023

उनवानी दावा :

1. रामप्रसाद पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बासखेडिया हाल निवास दूंनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0 ।
2. रूकमणी पत्नि रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी बासखेडिया हाल निवास दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0 ।

–वादीगण –

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति राजपूत निवासी दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0 ।
2. गजराज कंवर पत्नि शिवराजसिंह जाति राजपूत निवासी दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0 ।
3. पृथ्वीराज सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0 ।
4. भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. तहसीलदार दूनी जिला–टोंक राज0 ।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता वादीगण

श्री रमेश चन्द शर्मा
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4

दावा बाबत दुरूस्तीकरण नक्शा सीट, स्थयी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–88, 209 आरटीएक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पंत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 45 रकबा 1.49 है0, खसरा नं0 586 / 45 रकबा 1.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.71 है0 वाके ग्राम बासखेडिया पह0 मुगलाना तहसील दूनी जिला–टोंक राज0 में स्थित है। उक्त भूमि के अड़वा ही प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 53 रकबा 0.94 है0 ग्राम बासखेडिया में स्थित है। वादीगण की उक्त भूमि पूर्व में मूल ही खसरा नं0 45 रकबा 2.71 है0 थी। सेटलमेन्ट के दौरान बनाई गई नक्शा सीट सेटलमेन्ट कर्मचारियो / अधिकारियों की गलती व त्रुटी के कारण वादीगण की आराजी

..रा नं0 45 रकबा 2.71 है0 का रकबा की तरमीम राजस्व नक्शा सीट में कुल रकबा 2.71 ..0 रकबा के अनुसार तरमीम नहीं की गई। रकबा अनुसार तरमीम कम कर दी गई। अर्थात ..ल खसरा नं0 45 रकबा 2.71 है0 (वर्तमान रिकार्ड अनुसार 45 रकबा 1.49 है0 खसरा नं0 586/45 रकबा 1.22 है0) की तरमीम रकबा अनुसार नहीं करके कम रकबा की तरमीम कर दी गई तथा आराजी खसरा नं0 53 रकबा 0.94 है0 की राजस्व नक्शा सीट में तरमीम ज्यादा रकबा की कर दी गई। जिसे सीट का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया ही वादीगण का रकबा सीट में कम तथा प्रतिवादीगण रकबा सीट में ज्यादा इन्द्राज हो रहा है। जबकि मौके पर वादीगण अपने पूर्ण रकबा 2.71 है0 पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की गलती व त्रुटी के कारण वादीगण के कुल रकबा 2.71 है0 नक्शा सीट में कम रकबे की तरमीम करने व प्रतिवादीगण की भूमि का रकबा 0.94 है0 के रकबे की तरमीम राजस्व नक्शा सीट में ज्यादा कर दिये जाने से प्रतिवादीगण इस बात का फायदा उठाते हुऐ भूमि का नाप चौप करवाते है तो नक्शा सीट में खसरा नं0 53 के रकबा 0.94 है0 की तरमीम ज्यादा होने से मौके पर वादीगण अपने रकबा 2.71 है0 भूमि में नाप चौप आने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया तथा जबरन भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। सेटलमेन्ट के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा गलत व त्रुटीपूर्ण तरीके से वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 45 रकबा 2.71 है0 (वर्तमान रिकार्ड अनुसार 45 रकबा 1.49 है0 खसरा नं0 586/45 रकबा 1.22 है0) को रकबे अनुसार तरमीम करवाने एवं प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नं0 53 रकबा 0.94 है0 के रकबे अनुसार तरमीम किया जाकर राजस्व नक्शा सीट में दुरूस्तीकरण किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वो वादीगण की मौके पर काबिज काश्त भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा मौके पर काबिज भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे, के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वाद कारण 3–4 माह से उत्पन्न हुआ है जब सेटलमेन्ट के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा गलती व त्रुटी के कारण वादीगण का रकबा अनुसार तरमीम नहीं किये जाने से तथा वादीगण का कम रकबा तरमीम किये जाने से प्रतिवादीगण वादीगण के मौके पर काबिज काश्त भूमि में कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया तथा जबरन भूमि से बेदखल करने पर आमादा होने से उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है। प्रतिवादीगण नं0 5 को लेण्ड हॉल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर. टी. एक्ट के तहत अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है। विवाद ग्रस्त भूमि श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

वादीगण की अधियाचना है कि :–

(अ) वादीगण वाद बहक प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा नं0 45 रकबा 1.49 है0, खसरा नं0 586/45 रकबा 1.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.71 है0 (सेटलमेन्ट के समय खसरा नं0 45 रकबा 2.71 है0 था) ग्राम बासखेडिया प0ह0 मुगलाना तहसील दूनी जिला–टोंक राज0 भूमि की राजस्व नक्शा सीट में कुल रकबा 2.71 है0 (रकबा

है0+रकबा 1.22 है0 कुल रकबा 2.71 है0) की कम रकबा की तरमीम को दुरूस्तीकरण राजस्व नक्शा सीट में वादीगण के रकबे अनुसार तरमीम किया जावे तथा खसरा नं0 53 रकबा 0.94 है0 की वर्तमान राजस्व नक्शा सीट में ज्यादा तरमीम को उक्त रकबा अनुसार तरमीम किया जावे। अर्थात खसरा नं0 45 रकबा 1.49 है0, खसरा नं0 586/45 रकबा 1.22 है0 व खसरा नं0 53 रकबा 0.94 है0 का जमाबन्दी में इन्द्राज रकबा अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दुरुस्तीकरण किया जावे।

(ब) यह कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के आराजी खसरा नं0 45 रकबा 1.49 है0 खसरा नं0 586/45 रकबा 1.22 है0 के मौके पर पूर्ण रकबे पर काबिज भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा जबरन भूमि से बेदखल नहीं करे।

(स) यह कि अन्य सहायता जो वादीगण के हित में प्रबल हो दिलवायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– वाद पत्र का चरण नम्बर 1 मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है. वादीगण स्वयं सिद्ध करे। वाद पत्र का चरण नम्बर 3 मे नक्शा सीट मे वादीगण की भूमि का रकबा कम किये जाने का तथ्य कानूनी है, वादी सिद्ध करे। प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 53 रकबा 0.94 है0 के खातेदार है एंव प्रतिवादीगण 1 ता 4 खसरा नम्बर 53 रकबा 0.94 है0 भूमि ही चाहते है, यदि नक्शा सीट मे 0.94 है0 से ज्यादा भूमि दर्शायी गयी है, तो दुरुस्त किये जाने योग्य है। वाद पत्र का चरण नम्बर 4 मे सीट दुरुस्तीकरण किये जाने की प्रार्थना कानूनी है, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित मे नही है. क्योकि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 0.94 है0, भूमि से अधिक भूमि पर ना तो कब्जा करना चाहते है और ना ही वादीगण के कब्जेकाश्त में मजामहत करते है। वाद पत्र का चरण नम्बर 5 मे राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि का ज्ञान होने का तथ्य जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है, शेष तथ्य गलत है। वाद पत्र का चरण नम्बर 6, 7, 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र के चरण नम्बर 9 मे चाही गयी अभियाचना अ वादी सिद्ध करे, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 केवल अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 0.940, भूमि पर ही काबिज है। दुरुस्तीकरण के आदेश फरमाये जाने से पूर्व मोका व नक्शा ट्रेस की रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से मंगवाया जाना आवश्यक है। अभियाचना ब व स खारिज फरमायी जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र/दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दौराने सुनवाई, अधिवक्ता उभयपक्ष ने उपस्थित होकर नक्शा ट्रेस में विचलन व मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से मंगवाने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार किया गया।

तहसीलदार दूनी को नक्शा ट्रेस में विचलन व मौका स्थिति की रिपोर्ट हेतु पत्र [illegible] गया।

तहसीलदार दूनी द्वारा नक्शा शीट व मौके पर विचलन की रिपोर्ट/जवाब क्रमांक 3198/भू.अ./2023 दिनांक 18.08.23 पेश किया गया जो निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार/पिता मय जाति	खसरा नम्बर	जमाबन्दी में दर्ज रकबा (हैक्टेयर)	शीट में रकबा बरारी के अनुसार रकबा (हैक्टेयर)	नक्शा शीट में अन्तर (हैक्टेयर)	मौके पर कब्जा स्थिति
1.	रूकमणाी पत्नी रामप्रसाद हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. मुगलाना खातेदार (वादीगण)	45	1.49	1.17	−0.32 कमी	वादीगण का
2.	रामप्रसाद पुत्र मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार (वादीगण)	586/45	1.22	0.94	−0.28 कमी	वादीगण का
3.	कुलदीप सिंह पुत्र गजराज कंवर पत्नी शिवराज सिंह , पृथ्वी सिंह, भवानी सिंह जाति राजपूत सा. दूनी खातेदार रूकमणाी पत्नी रामप्रसाद हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. मुगलाना खातेदार (प्रतिवादीगण)	53	0.94	1.54	+0.60 बेशी	प्रतिवादीगण कुलदीप वगै. ख. नं. 53 में 0.42 है0 में काबिज है शेष 0.52 है0 वादीगण के कब्जेकाश्त में है।

वाद में उभयपक्ष अधिवक्ता ने कथन किया कि तनकियात बिन्दूओं की आवश्यकता नहीं है और न ही साक्ष्य करवाने की। सीधे ही बहस सुनने की प्रार्थना की।

उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना स्वीकार कर, पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार दूनी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जाकर मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के खेतो को मौके पर जाकर, दुरूस्त नक्शा ट्रेस अनुसार नियमानुसार अलग अलग मुस्तकिल पोइन्टो से नापकर सीमाएं निर्धारित कर वादीगण व प्रतिवादीगण को

कर वादीगण व प्रतिवादीगण की पत्थरगढी करवायी जाने हेतु न्यायालय से निवेदन ताकि भविष्य में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कभी विवाद उत्पन्न न हो। अधियाचना बिन्दू ब के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिपक्ष ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण को केवल ख. नं. 53 के रकबा 0.94 है0 नापकर सीमाज्ञान कर वादीगण व प्रतिवादीगण की सीमाएं निश्चित कर पत्थरगढी कर दी जावे तो हमें कोई आपति नहीं है। वादीगण प्रतिवादीगण को बिना किसी वजह के ही स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है जो गलत है। वादीगण इसके अधिकारी नहीं है। यदि नक्शा शीट में तरमीम में त्रुटि हो रखी है तो नियमानुसार उसको शुद्व करने पर प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 वाके ग्राम बांसखेड़िया के ख. नं. 45 रकबा 1.49 है0 वादीगण संख्या 2 की खातेदारी भूमि है तथा ख. नं. 586/45 रकबा 1.22 है0 वादीगण संख्या 1 की खातदारी भूमि है। इसी प्रकार ख. नं. 53 रकबा 0.94 है0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की खातेदारी भूमि है। वादीगण के वाद अनुसार मूल ख. नं. 45 रकबा 2.71 है0 (वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार ख. नं. 45 रकबा 1.49 है0 व ख. नं. 586/45 रकबा 1.22 है0) इन दोनो ख. नं. के रकबो की हाल नक्शा शीट में तरमीम रकबो के अुनरूप नहीं करके कम रकबे की तरमीम कर दी गई जबकि इन ख. नं. के अड़वा ख. नं. 53 रकबा 0.94 है0 की तरमीम रकबे के अनुरूप नहीं करके रकबे के मुकाबले ज्यादा तरमीम कर दी गई । उक्त की पुष्टि हेतु तहसीलदार दूनी से विवादित ख. नं. की रकबा बरारी करते हुए नक्शा शीट व मौके पर विचलन की रिपोर्ट ली गई।

तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट/जवाब/प्रस्ताव क्रमांक 3198/भू.अ./2023 दिनांक 18.08.23 अनुसार ख. नं. वादीगण संख्या 2 की आराजी ख. नं. 45 रकबा 1.49 है0 है परन्तु रकबा बरारी अनुसार नक्शा शीट में 1.17 है0 रकबा ही बनाया, अर्थात 1.49–1.17 = 0.32 की कमी व वादीगण संख्या 1 की आराजी ख. नं. 586/45 रकबा 1.22 है0 है परन्तु रकबा बरारी अनुसार नक्शा शीट में 0.94 है0 रकबा ही बनाया है, अर्थात 1.22–0.94 = 0.28 की कमी। दोनो ख. न. में कुल कमी 0.60 है0 की है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 आराजी ख. नं. 53 रकबा 0.94 है0 है परन्तु रकबा बरारी अनुसार शीट में 1.54 है0 अर्थात 1.54–0.94 = 0.60 है0 की वृद्वि है।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब व बहस में नक्शा शीट में तरमीम शुद्वि बाबत सहमति दर्शायी है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, राजस्व दस्तावेजात तहसीलदार की रिपोर्ट/प्रस्ताव व उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस के संश्लेषण व विश्लेषण करने पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

लदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम बांसखेड़िया पटवार हल्का लाना के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख. नं. 45 रकबा 1.49 है0, ख. नं. 566/45 रकबा 1.22 है0, ख. नं. 53 रकबा 0.94 है0 की तरमीम राजस्व शीट में तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट/प्रस्ताव क्रमांक 3198/भू.अ./2023 दिनांक 18.08.23 के अनुसार दुरूस्त कर करे। तद्नुरूप मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करे, वादीगण व प्रतिवादीगण के लिए सीमाचिन्ह निर्धारित करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादीगण को जबरन भूमि से बेदखल नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 31.08.2023 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली

व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोक.......................................

उनवानी दावा :

1. रामप्रसाद पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बासखेडिया हाल निवास दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0 ।
2. रूकमणी पत्नि रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी बासखेडिया हाल निवास दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0 ।

–वादीगण –

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति राजपूत निवासी दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0 ।
2. गजराज कंवर पत्नि शिवराजसिंह जाति राजपूत निवासी दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0 ।
3. पृथ्वीराज सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0 ।
4. भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. तहसीलदार दूनी जिला–टोंक राज0 ।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत दुरूस्तीकरण नक्शा सीट, स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–88, 209 आरटीएक्ट

मुकदमा नं. 89 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रामनिवास तुनगारिया व श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री रमेश चन्द शर्मा विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम बांसखेड़िया पटवार हल्का मुगलाना के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख. नं. 45 रकबा 1.49 है0, ख. नं. 586/45 रकबा 1.22 है0, ख. नं. 53 रकबा 0.94 है0 की तरमीम राजस्व शीट में तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट/प्रस्ताव क्रमांक 3198/भू.अ./2023 दिनांक 18.08.23 के अनुसार

...कर करे। तद्नुरूप मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करे, ...ण व प्रतिवादीगण के लिए सीमाचिन्ह निर्धारित करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को ...रये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि के ...जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादीगण को जबरन भूमि से बेदखल नहीं करे।

निजी..मुवलिक...बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 08 सन् 2023 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....[signature] 31/8/23........

मुहर

ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी....
देवली (टोंक)

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिएं